फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी : श्री कैलाशीबाई **विपक्षी : पटवारी**

किस्म मुकदमा – 131 भू.राजस्व अधिनियम **पत्रावली संख्या : 93/24**

जीसीएमएस : 2024/362

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 10.01.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण व राजपेरोकार उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की पूर्व पेशी पर बहस सुनी गई। तहसीलदार मावली से रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल फाईल हैं। तहसीलदार मावली द्वारा रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि मौजा नामरी की आराजी नम्बर 1320 रकबा 0.1214 हेक्टेयर कैलाशीबाई पत्नी राजेन्द्र कुमार प्रजापत 1/3 कुम्हार निवासी नामरी, दौलतराम पिता खुमाण हिस्सा 2/3 जाति कुम्हार सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड हैं। ग्राम नामरी के नामान्तरण संख्या 704 सहमति बंटवाडा द्वारा आराजी नम्बर 1320 के दो टुकडे हुए जिससे आरजी नम्बर 1320 मी. रकबा 0.15(0.1214) एवं आराजी नम्बर 1773/1320 रकबा 0.16 (अब 0.1295) बने। उक्त त्रुटि सेग्रीगेशन के समय हुई हैं। प्रस्तावित नक्शा ट्रेस संलग्न हैं। तहसीलदार मावली द्वारा रिपोर्ट के साथ पटवारी रिपोर्ट, वर्तमान ऑनलाईन नक्शा ट्रेस एवं प्रस्तावित नक्शा ट्रेस सलंग्न किये गये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। तहसीलदार मावली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि ग्राम नामरी पटवार हल्का नामरी की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 380 पर दर्ज आराजी नम्बर 1320 रकबा 0.1214 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या 399 पर दर्ज आराजी नम्बर 1773/1320 रकबा 0.1295 हेक्टेयर भूमि विपक्षी सं. 4, 5 के नाम पर दर्ज है। उक्त दोनो आराजीयात का मूल नम्बर 1320 था। सहमती विभाजन के पश्चात मूल आराजी नम्बर के उपरोक्त दो आराजी नम्बर 1320 व 1773/1320 बने। सेग्रीगेशन के समय उक्त दोनो आराजीयात की तरमीम सहमति विभाजन के नक्शा ट्रेस अनुसार नही की गई। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण द्वारा सहमति विभाजन कर अपने पृथक–पृथक नम्बर दर्ज करवा लिए गए। परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहमति विभाजन अनुसार उक्त दोनो आराजी नम्बर की तरमीम नही कर भारी भूल की है। सहमति विभाजन के नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम की जानी चाहिए थी। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि ग्राम नामरी पटवार हल्का नामरी की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 380 पर दर्ज आराजी नम्बर 1320 रकबा 0.1214 हेक्टेयर भूमि एवं खाता संख्या 399 पर दर्ज आराजी नम्बर 1773/1320 रकबा 0.1295 हेक्टेयर भूमि की तरमीम सहमति विभाजन दिनांक 23.01.2013 के नक्शा ट्रेस अनुसार जो इस पत्रावली में प्रस्तावित नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किया गया है के अनुसार की जावे। प्रस्तावित नक्शा ट्रेस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। प्रस्तावित नक्शें अनुसार तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायायलय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:51:52 IST
Reason: SelfAttested